

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ROPAR



छात्रावास निवासियों के लिए नियम और विनियम
RULES AND REGULATIONS FOR HOSTEL RESIDENTS
शै. व. 2025-26 से प्रभावी
w.e.f - AY 2025-26

छात्रावास के नियम / Hostel Rules

यू.जी./पी.जी.(स्नातक/स्नातकोत्तर) नियमावली में सूचीबद्ध आचरण नियमों के अतिरिक्त भा.प्रौ.सं. रोपड़ के सभी छात्रावासों में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

The following rules need to be followed in all IIT Ropar hostels in addition to the Rules of Conduct listed in the UG/PG Manual. Necessary action will be initiated against those who are found in violation of any of these rules.

1. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि स्वीकार्य व्यवहार प्रदर्शित करें, छात्रावासों में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखें।

Students are expected to display an acceptable form of behaviour, maintain discipline and decorum in the hostels.

2. पीएच.डी और प्रौद्यो. निष्णात विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार छमाही अंतराल के दौरान छात्रावास खाली करना होगा।

All students except Ph.D. and M.Tech. Students must vacate the hostel accommodation during the semester breaks as per the Academic Calendar.

3. सांविधिक रूप से प्रारंभिक पाठ्यक्रम/ प्रौद्यो. स्नातक/एम.एससी/टि उपाधि/बी.एससी.-बी.एड विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध नहीं है और छुट्टियों में छात्रावास का कमरा खाली करना होगा। हालांकि उसके/उसकी अनुरोध पर छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकती है और यदि वह किसी कोर्स वर्क/परियोजना कार्य/संस्थान कार्य/छात्रावास कार्य आदि कर रहा/रही है तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रहने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ आवासों के लिए प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान शुल्क देना आवश्यक है।

Statutorily, hostel accommodation is not available to the Preparatory Course (PC)/ B.Tech. / M.Sc. / Dual Degree / B.Sc.-B.Ed students during vacation and need to vacate

the hostel room in the vacation. However, he/she may be permitted to stay in the hostel on request, and approval from the competent authority is required if he/she is doing any coursework/ Institute work / etc. Such residents are required to pay charges as per the prevailing rates.

4. द्वि उपाधि छात्रों को प्रौद्यो. स्नातक छात्रों के रूप में उनके पाठ्यक्रम के प्रथम चार वर्षों तक और प्रौद्यो. निष्णात छात्रों को अंतिम वर्ष तक माना जाएगा।

Dual degree students will be treated as B.Tech. students for the first four years of their program and as M.Tech. students for the last year.

5. छात्रावास सुविधा वर्ष भर पीएच.डी शोधार्थियों को उपलब्धता के आधार पर और संबंधित प्राधिकारी की अनुमति से प्रदान की जाती है। पीएच.डी शोधार्थी छात्रावास को छात्राही के मध्य में भी संस्थान द्वारा मुक्त किए जाने पर खाली कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें पूरी छात्राही के लिए स्थापना शुल्कों का भुगतान करना होगा।

Hostel accommodation, subject to availability and permission from the concerned authority, will be provided to Ph.D. scholars throughout the year. Ph.D. scholars shall vacate the hostel, even in the middle of the semester, once they are relieved from the Institute. However, they have to pay the hostel establishment charges for the entire semester.

6. विशेष रूप से ऊपर वर्णित न की गयी किसी भी श्रेणी से संबंधित छात्र/शोधार्थियों को उपलब्धता के आधार पर आवास दिया जाएगा। छात्रावास प्रबंधन ऐसे मामलों में अंतिम प्राधिकरण है।

Students / Scholars belonging to any category not specifically mentioned above will be given accommodation, subject to availability. The Hostel Management Section is the final authority in such matters.

7. रैगिंग, उत्पीड़न, धमकाना, यौन उत्पीड़न और किसी भी प्रकार का यौन शोषण बहुत गंभीर अपराध हैं। छात्रों को चेतावनी दी जाती है कि इस तरह के कठोर व्यवहार में शामिल होने पर उन्हें पूरी तरह से निष्कासित किया जा सकता है।

Ragging, hazing, bullying, sexual harassment, and sexual abuse of any kind a very serious offenses. Students are warned that involvement in such callous behaviour might lead to total rustication.

8. छात्रावास में छात्रों के प्रवेश के समय और प्रति वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक निवासी को छात्रावास कार्यालय में एक विधिवत पूर्ण व्यक्तिगत डेटा प्रपत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। एक पासपोर्ट आकार का छायाचित्र निजी डेटा प्रपत्र में चिपका हुआ और माता-पिता/अभिभावक का संपर्क विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय अभिभावक का पता और फोन नंबर, यदि उपलब्ध हो, तो अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। माता-पिता की ई-मेल भी प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी समय माता-पिता / स्थानीय अभिभावक के पते / दूरभाष संख्या में कोई भी परिवर्तन की सूचना तत्काल लिखित रूप में छात्रावास कार्यालय को दी जानी चाहिए।

At the time of admission of students into the hostel and at the beginning of every year, each resident is required to submit a duly completed personal data form to the hostel office. A passport-size photograph is to be affixed in the personal data form, and the contact details of the parent/guardian must be provided. Local Guardian's address and phone number, if available, must be provided. The email of the parent should also be provided. Any change of address/telephone number of the parent / local guardian, at any point in time, has to be intimated to the hostel office in writing, immediately.

9. छात्रावास प्रबंधन प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक कमरे में बिस्तर, एक अलमारी, अध्ययन-मेज और कुर्सी ऐसे न्यूनतम फर्निचर उपलब्ध करेगा।

The Hostel Management will generally provide minimum furniture for each room, consisting of one cot, an almirah, a study table, and a chair for each student.

10. छात्रावास प्रबंधन प्रत्येक कमरे में रखे जाने वाले छात्रों की संख्या तय करेगा।

The Hostel Management shall decide the number of students to be kept in each room.

11. यदि छात्रावास में रहने की अवधि के दौरान किसी भी छात्र की स्थिति बदलती है, तो उसे शीघ्र वार्डन/ सह-वार्डन/ छात्रावास कार्यालय को सूचित करना होगा।

If the status of any student changes during the period of stay in the hostel, he/she is required to inform the Warden/Associate Warden / Hostel office immediately.

12. यदि छात्रावास प्रबंधन को पता चलता है कि छात्र छात्रावास आवास के लिए पात्र नहीं है, तो उसे तत्काल छात्रावास आवास खाली करना होगा।

If the Hostel Management finds that the student is not eligible for hostel accommodation, he/she will have to vacate the hostel accommodation immediately.

13. छात्रावास में रहने से छूट प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को शैक्षणिक अनुभाग के माध्यम से अधिष्ठाता / सह अधिष्ठाता/ छात्रावास प्रबंधन/ विद्यार्थी मामले को प्रत्येक छमाही के लिए पृथक आवेदन करना होगा। छात्र द्वारा उद्धृत परिस्थितियों की वास्तविकता के आधार पर उसे अधिष्ठाता / सह अधिष्ठाता/छात्रावास प्रबंधन/विद्यार्थी मामले द्वारा छात्रावास में रहने से छूट दी जा सकती है।

Students who wish to seek exemption from staying in the hostel will have to make a specific application separately for every semester to the Dean/Associate Dean, Hostel Management/student affairs, through the Academic Section. Based on the genuineness of the circumstances cited by the student, he/she may be exempted from residing in the hostels by the Dean / Associate Dean, Hostel Management/student affairs.

14. छात्रावासों में मद्यपान/धूम्रपान करना/तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करना सख्त वर्जित है।

Drinking/smoking/use of tobacco products in the hostels is strictly prohibited.

15. छात्रों को छात्रावास क्षेत्र में मोटर वाहन (मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, आदि) का उपयोग या पार्क करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई छात्रावास निवासी संस्थान परिसर में मोटर वाहन रखता/चलाता पाया गया तो उसे संस्थान की वाहन नीति के अनुसार दंडित किया जाएगा।

Students are not allowed to use or park motor vehicles (motorbike, scooter, car, etc.) in the hostel area. Any hostel resident found keeping/riding a Motorised vehicle on the institute campus will be penalized as per the institute's vehicle policy.

16. तोड़फोड़ (या संस्थान की संपत्ति को जानबूझकर नष्ट या विकृत करना) एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसमें पोस्टर चिपकाना, लेखन, दीवारों पर चाक से लिखना, किसी भी प्रकार के नारे लगाना आदि शामिल हैं। ऐसा अपराध करने के दोषी पाए जाने वाले छात्रावास निवासियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रावास की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर तत्काल वार्डन/केयरटेकर को सूचित किया जाना चाहिए। सामान्य टूट-फूट के कारण हुए नुकसान को छोड़कर छात्रावास निवासियों से सभी प्रकार के नुकसान के लिए शुल्क लिया जाएगा।

Vandalism (or the wilful destruction or defacement of institute property) is a very serious offence. This includes acts such as pasting of posters, writings, wall chalking, slogans of any kind, etc. Strong action will be taken against hostel residents found guilty of committing such an offence. Any damage to the hostel property must be reported immediately to the warden/caretaker. Hostel residents will be charged for all damages except damages caused due to normal wear and tear.

17. छात्रावासों के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल आदि जैसे बाहरी खेल खेलना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। हालाँकि, टेबल टेनिस, कैरम और बैडमिंटन जैसे खेल खेले जा सकते हैं, लेकिन केवल निर्धारित क्षेत्रों में।

Playing outdoor games like cricket, soccer, etc., inside the hostels is strictly prohibited. However, games like table tennis, carom, and badminton can be played, but only in the designated areas.

18. छात्रावास प्राधिकारी छात्रों को पूर्व सूचना दिए बिना छात्रावास और कमरों की आकस्मिक जाँच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें।

The hostel authorities reserve the right to make spot checks on the hostel and rooms without having to give prior notice to the students. Students are expected to cooperate with the authorities in this regard.

19. सभी निवासियों को संस्थान द्वारा जारी वैध पहचान पत्र हर समय अपने साथ रखना आवश्यक है।

All residents are required to carry their valid Identity Card issued to them by the Institute at all times.

20. छात्रावास प्राधिकारी आवश्यकता पड़ने पर छात्रावास के निवासियों को अन्य कमरों/छात्रावास इकाइयों में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। छात्रों को प्रभारी वार्डन/सह-वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास के कमरे बदलने की अनुमति नहीं है।

The hostel authorities reserve the right to move hostel residents to other rooms/hostel units if necessary. Students are not allowed to change hostel rooms without prior approval from the warden/associate warden in charge.

21. छात्रावास में रहने वाले सभी निवासियों को अपने कमरों से निकलने से पहले सुरक्षा कारणों से सभी दरवाजों को बंद करने की सलाह दी जाती है। छात्रों को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और छात्रावास प्रबंधन छात्रों की निजी संपत्ति के किसी भी नुकसान/क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

Before leaving their rooms, hostel residents are advised to lock all doors for security reasons. Students should take care of their own belongings, and the hostel management will not be responsible for any loss/damage to the personal property of students.

22. सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे रात्रि 11 बजे से पहले संस्थान/छात्रावास में वापस आ जाएँ। यदि छात्र रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भा.प्रौ.सं. रोपड़ परिसर में पहुँच रहे हैं, तो उन्हें छात्रावास वार्डन को पहले (अधिमानत: एक दिन पहले) सूचित करना होगा। जो भी छात्र सप्ताहांत, छुट्टियों या किसी अन्य समय छात्रावास से बाहर रहना चाहता है, उसे स्व-घोषणा पत्र भरकर केयरटेकर कार्यालय में जमा करना होगा।

All the students are expected to be back in the Institute/Hostels before 11.00 pm. Students have to be intimate prior to the Hostel Wardens (preferably one day before) if they are reaching the IIT Ropar campus between 11 PM and 6 AM. Any student who wishes to be away from the hostel during weekends, holidays, or any other time has to fill out the self-declaration form and arrange to submit it to the caretaker's office.

23. यदि छात्र अपने कक्ष साथी/पड़ोसी को बिना किसी स्पष्ट कारण के 24 घंटे से अधिक समय तक गायब पाते हैं, छात्र का यह अनिवार्य और नैतिक दायित्व है कि वे तत्काल प्रभारी वार्डन को इसकी सूचना दें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छात्रावास अधिकारी किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर सकें।

If students find their roommate/neighbours missing for more than 24 hours for no verifiable reason, it is both mandatory and the moral responsibility of the student to

report it to the warden in charge immediately. This is to enable the hostel authorities to take immediate action if any untoward incident takes place.

24. किसी दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थिति में वार्डन/सह-वार्डन को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए अधिकारियों से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने पर छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

In the event of an accident or other such emergency situations, the warden/associate warden must be informed immediately. Action can be taken against students for withholding such important information from the authorities.

25. यदि आपको अपने कक्ष साथी या किसी छात्रावास निवासी का कोई असामान्य व्यवहार दिखाई दे तो वार्डन/सह-वार्डन को तत्काल सूचित करें।

In case you find any unusual behaviour of your roommate or any hostel resident, the warden/associate warden must be informed immediately.

26. छात्रावास के अन्य निवासियों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के निवासियों का भी हर समय उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। शोर का स्तर कम रखा जाना चाहिए ताकि दूसरों को आराम से पढ़ने या सोने का अवसर मिल सके। किसी भी प्रकार का तेज़ संगीत बजाना या विचलित करने वाली आवाज़ें निकालना सख्त वर्जित है।

Due consideration must be accorded to other hostel residents as well as residents of the surrounding areas at all times. Noise level must be kept low to allow others the opportunity to study or sleep in comfort. Playing any kind of loud music or making disturbing noises is strictly prohibited.

27. निवासियों को परिसर में अथवा बाहर किसी भी राष्ट्र-विरोधी, समाज विरोधी अथवा अवांछनीय गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए।

Residents should not participate in any anti-national, anti-social, or undesirable activity in or outside the campus.

28. लड़कों के छात्रावास में कोई महिला को प्रवेश की अनुमति नहीं है। महिला छात्रावास में लड़को/पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि माता-पिता / कानूनी अभिभावक महिला छात्रावास में (अधिकारियों की अनुमति के साथ)

जा सकते हैं और मिलने के समय के दौरान अर्थात् सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सामूहिक कमरे / आंगंतुक कक्ष में मिल सकते हैं।

No female boarders/non-boarders are allowed to enter the boys' hostel. Boys/men are not allowed in the girls' hostel. However, parents / legal guardians can visit a girl's hostel (with the permission of the authorities) and meet the resident in the common room/visitor room during the visiting hours, between 7.00 am and 6.00 pm.

29. अनधिकृत अतिथियों का मनोरंजन करने वालों को छात्रावास के निष्कासन सहित कठोर दंड दिया जाएगा।

Entertaining unauthorized guests will be dealt with severe punishment, including expulsion from the Hostel.

30. उपयोग में न होने पर सभी पंखे, लाइटें और बिजली के उपकरण बंद कर देने चाहिए। छात्रों को पानी का संरक्षण करना चाहिए तथा उपयोग में न होने पर टपकते या खुले हुए नलों/शॉवर को भी बंद कर देना चाहिए।

All fans, lights, and electrical appliances must be switched off when not in use. Students should also conserve water by closing any dripping or open taps/showers when not in use.

31. छात्रों को अपने कंप्यूटर और सामूहिक कमरे में पायरेटेड/अनधिकृत बिना लाइसेंस वाली फिल्मों नहीं देखनी चाहिए। किसी भी उल्लंघन से कठोरता से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए दंड का निर्धारण प्राधिकारी करेंगे।

The students should not screen pirated / unauthorized unlicensed movies on their computers and in common rooms. Any violation will be dealt with severely. Punishment for the same will be decided by the authorities.

32. कोई भी छात्र एक समय में एक से अधिक कमरों में नहीं रह सकता। जो छात्र छात्रावास के भीतर या अंतर-छात्रावास में कमरे बदल रहे हैं, उन्हें एक दिन के भीतर ऐसा करना होगा। अगर कोई छात्र एक समय में एक से अधिक कमरों में रहता पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा और साथ ही जिन कमरों में वह रह रहा है, उन्हें खाली करा लिया जाएगा।

No student may occupy more than one room at a time. Students who are shifting rooms within the hostel, inter hostel, must do so within the timeframe of one day. Any student

found to be occupying more than one room at a time will be penalized, and additionally, occupied rooms will be vacated.

33. कमरों का परिवर्तन - कक्ष परिवर्तन की अनुमति केवल वार्डन/सह-वार्डन के अनुमोदन के उपरांत ही दी जाती है।
Change of rooms - Room changes are allowed only after the authorization of the warden/associate warden.

34. किसी भी छात्रावास में छात्र के साथ निजी सहायक को रखना और पालतू जानवर रखना निषिद्ध है।
Engaging personal attendants and keeping pets with the student in any hostel is prohibited.

35. भोजनालय से बाहर भोजन ले जाना निषिद्ध है। छात्रावास के जो छात्र कदाचार के दोषी पाए जाते हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा; यदि छात्र दूसरी बार ऐसा करता पाया जाता है, तो उसे छात्रावास से निष्कासन सहित कठोर दंड दिया जाएगा।

Taking food out of the Mess is prohibited. Hostel inmates who are found guilty of misconduct shall be liable to a fine; if the student is found repeating a second time, a severe punishment, including expulsion from the hostel.

36. वरिष्ठ बैच के छात्रों को प्रथम वर्ष के छात्रावासों/विंग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को दंडित किया जा सकता है।

Senior Batch students are not allowed to enter first-year hostels/wings. Students violating the rules may be penalized.

37. छात्रावास में ज्वलनशील वस्तुएँ की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Inflammable items are not allowed in the hostel. Violations will result in disciplinary actions.

38. भोजनालय पंजीकरण: प्रत्येक छात्र को आवंटित छात्रावास के भोजनालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। छात्रावास में रहने वाले छात्र के लिए आवंटित भोजनालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

Mess Registration: Every student allotted a hostel is required to register in the allotted mess. It is mandatory for a hosteller to register in the allotted mess..